

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 171/2012 सत्रवाद

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना

मौ जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. सत्यभान पुत्र शंकरसिंह गुर्जर उम्र 32 वर्ष।
2. करतारसिंह पुत्र मंशाराम गुर्जर उम्र 26 वर्ष।
3. राधेश्याम पुत्र पंचमसिंह गुर्जर उम्र 42 वर्ष।
4. बीरवल पुत्र राजाराम गुर्जर उम्र 31 वर्ष।
5. बलवीर पुत्र कल्याणसिंह गुर्जर उम्र 25 वर्ष।
6. अतेन्द्र सिंह पुत्र तहसीलदारसिंह गुर्जर उम्र 26 वर्ष।
7. मेवाराम पुत्र दाताराम गुर्जर उम्र 27 वर्ष।
8. नरेश सिंह पुत्र ब्रजेन्द्र सिंह गुर्जर उम्र 22 वर्ष।
निवासीगण ग्राम जितरवई पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.।

.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री केशवसिंह
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क0. 214/2012 इ0फौ0
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र0 171/2012

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्तगण द्वारा श्री गब्बरसिंह गुर्जर अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 20-2-2015 को घोषित किया गया//

01. आरोपीगण का विचारण धारा 376(2-छ) विकल्प में धारा 376(2-छ)/120बी,

302 विकल्प में धारा 302 सहपठित धारा 120बी भा.दं.वि. के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 29.02.2012 एवं दिनांक 01.03.2012 की रात्रि ग्राम जितरवई के हार में मंशाराम के कुँआ मौ में महिला अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग किया। विकल्प में उन पर यह भी आरोप है कि उक्त महिला मुन्नीबाई के साथ सामूहिक बलात्संग करने का कार्य सहआरोपीगण के साथ शामिल होकर के और उस करार के अनुसरण में किया गया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अभियोक्त्री की सआशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की और बिकल्प में यह भी आरोप है कि अभियोक्त्री की हत्या कारित करने के कार्य हेतु सहआरोपीगण के साथ सहमत थी और उक्त करार के अनुशरण में अभियोक्त्री की सआशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 01.03.2012 के 08:30 बजे सूचनाकर्ता ईशुब खॉ पुत्र गुलजारी खॉ के द्वारा थाना मौ पर इस आशय की सूचना दी गई कि उसकी बहू अभियोक्त्री की जितरवई हार में मंशाराम के कुँए पर मौत होकर लाश कुँआ में पड़ी है जो कि उसने मंशाराम के कुँए पर जाकर देखा तो अभियोक्त्री की लाश कमरे के पास बने कुँए में औंधी अर्द्धनग्न हालत में पड़ी दिखी। उसका भाई मन्ने खॉ जो कि अभियोक्त्री का पति था करीब 4 वर्ष पहले खत्म हो गया था और बहू अभियोक्त्री अलग रहती थी, उसके दो लडके हैं जो कि बाहर हैं। अभियोक्त्री उसे एक दिन पहले से नहीं दिखी थी। उक्त मर्ग सूचना देहाती सूचना मर्ग पर दर्ज की गई और असल कायमी हेतु थाना मौ भेजा गया। मर्ग कायम किया जाकर मर्ग की जाँच की गई, मृतिका का शव कुँए से निकलवाया गया, सफीनाफार्म जारी कर शव का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतिका के शव का शव परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। घटना स्थल से एक जनानी साड़ी जो कि मृतिका के शव के नीचे दबी हुई थी, एक काले रंग का लेडीज स्वेटर, एक जोड़ी चप्पल, एक दरी, एक मर्दानी सोल, एक विछाने वाली सूती चद्दर, तीन खाली बीडी के खोखे, टूँठ करीब 20 एवं जली हुई करीब 16 तीलियाँ, एक शराब 180 एम.एल. का पॉव, एक पट्टे वाली चड्डी मर्दानी जो कमरे की दीवाल के पास रखी थी और कमरे के फर्स पर 50 रुपए का नकली नोट और मृतिका के शरीर के नीचे 110/- रुपए जप्त किये गये। इसके अतिरिक्त एक मोटरसाइकिल काले रंग की और एक टार्च पीले रंग की जप्त की गई। घटना स्थल का निरीक्षण सीन ऑफ काइम यूनिट के द्वारा किया गया। जाँच के दौरान के साक्षी मंशाराम, अहिवरनसिंह, ईशुब खॉ, हरिविलास, रामशरण, अनीष मोहम्मद, रसीद खॉ, मंशूर खॉ, प्र0आर0 नवरंगप्रसाद, प्र.आर. शेषदेवरामभगत, आरक्षक बंटी मेहरा, तेजसिंह के

कथन लिए गए।

03. उपरोक्त संबंध में जॉच में मुखविर की सूचना, घटनास्थल मौके पर मिली परिस्थितिजन्य साक्ष्य, कुँए में अर्द्धनग्न हालत में मृतिका की मिली हुई लाश की बरामदगी की कार्यवाही, स्थल निरीक्षण, पी.एम. रिपोर्ट व घटना स्थल पर घटना के उपरांत मौजूद होने बताए गए संदेही सत्यभान, राधेश्याम एवं करतारसिंह जिन्होंने कि घटना में अन्य आरोपी नरेश, मेवाराम, बीरवल, बलवीर, अतेन्द्र के शामिल होना एवं भागना बताया गया, उक्त आधार पर अभियोक्त्री के साथ आरोपीगण के द्वारा सामूहिक बलात्कार किया जाना एवं चोटों के कारण उसकी मृत्यु होना जॉच में पाये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 40 अप0क्रं0 48/12 धारा 376-2(छ), 302, 201 भा0दं0वि0 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, आरोपीगण की गिरफ्तारी की गई तथा आरोपी सत्यभान से एक लुंगी, आरोपी करतार से एक मोबाइल सेमसंग कम्पनी का जिसका सिम नम्बर 9753659015 होना एवं जिसमें नम्बर 7697946682 फीड था । आरोपी राधेश्याम से जाधिया (चड्डी) की जप्ती की गई। उक्त आरोपियों का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया। अन्य आरोपीगण नरेश, मेवाराम, अतेन्द्र, बीरबल, बलबीर का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। आरोपियों के कपडे सीमन स्लायड व मृतिका से जप्त की गई वस्तुयें तथा घटनास्थल से प्राप्त जप्त सुदा वस्तुयें परीक्षण हेतु राज्य न्यायलयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाला गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 376(2-छ) विकल्प में धारा 376(2-छ)/120बी, 302 विकल्प में धारा 302/120बी भा.दं.वि. का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोश होना बताया। घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति की बात को आरोपी सत्यभान, करतार, राधेश्याम सहित अन्य आरोपीगण के द्वारा इन्कार किया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि महिला अभियोक्त्री के साथ सहायक उपनिरीक्षण ए.एम. सिद्दगी के अवैध संबंध रहे हैं जिसका खुलासा होने पर साजिशन घटना कराई जाकर उन्हें बचाने के उद्देश्य से आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण बनाया गया है। साक्षी जो कि पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारी है उनके द्वारा गलत जानकारी और साक्ष्य

न्यायालय में देना बताया है। बचाव में बचाव साक्षी बबलू खॉ ब0सा0 1, अमरसिंह ब0सा0 2, जगदीश ब0सा0 3 एवं कल्यानसिंह ब0सा0 4 के कथन कराए हैं।

06. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 29.02.2012 व 01.03.2012 की रात्रि जितरवई के मंशाराम के कुँआ के मौ पर अभियोक्त्री के साथ बलात्संग हुआ?
2. क्या आरोपीगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग किया गया?

बिकल्प में

क्या आरोपीगण के द्वारा अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग करने के कृत्य हेतु सहआरोपीगण के साथ सहमत होकर के करार के अनुसरण में उक्त सामूहिक बलात्संग की घटना की गई?

3. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर महिला अभियोक्त्री की हत्या कारित हुई?
4. क्या अभियोक्त्री की मृत्यु सदोष मानव वध की कोटि कार है?
5. क्यास आरोपी/आरोपीगण के द्वारा सआशय या जानबूझकर अभियोक्त्री की मृत्यु कारित कर हत्या की गई?

बिकल्प में

6. क्या आरोपीगण के द्वारा अभियोक्त्री की सआशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या करने के कार्य हेतु अन्य सहआरोपीगण के साथ सहमत होकर उसके अनुसरण में षड्यंत्र पूर्वक उसकी हत्या की गई?

-: सकारण निष्कर्ष:-

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 6:-

07. उपरोक्त सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण साक्ष्य विवेचना की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किये जा रहे हैं ।

08. डॉ0 हरीश हासवानी अ0सा0 3 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 01.03.2012 को सी.एच.सी मौ में मेडीकल ऑफसीर के पद पर पदस्थ दौरान उन्होंने महिला अभियोक्त्री जो कि करीब 50 साल की उम्र की थी उसका शव परीक्षण किया था। उक्त शव की पहचान गवाह मंशूरखां, सुल्तान तथा धीरूखां जो कि मृतिका के बेटा एवं भतीजे

थे उनके द्वारा की गयी थी । शव परीक्षण के हेतु लाये जाने पर पहली बार देखने पर उन्होंने महिला को अकड़ी हुई स्थिति में देखा था। मृतिका के **वाह्य परीक्षण में**— मृतिका नाक में नथ और दोनों कानों में सुनहरे रंग की वालियाँ थी और एक गले में हार था। मृतिका कपड़ों में हरा पेटीकोट, काली ब्रा, हरी साल उसके शरीर पर थी, उसके गुप्तांगों से स्वाव लेकर दो स्लाइड बनाई थी। मृतिका को एक फटा हुआ घाँव सिर में दाहिनी तरफ जो कि लम्बाई में स्थित था जिसका आकार 1.5 गुणा 1 इंच हड्डी की गहराई तक था। शव की स्थिति चित लेटी हुई थी, दाहिनी भुजा टूटी हुई थी। तीन चूड़ियाँ और एक कड़ा दाहिनी कलाई में थी और एक चूड़ी टूटी हुई थी, चार छिलन के निशान पीठ के उपर की तरफ थे और बाईं कलाई में 6 चूड़ियाँ और एक कड़ा था और दोनों पेरों के दो अंगुली में बिछिया थे।

आंतरिक परीक्षण— सिर की हड्डी खोलने पर दिमाग स्वस्थ होना पाया था, दाहिनी तरफ की 2, 3, 4 तथा 5वीं पसली टूटी हुई थी। फुशफुश, कंठ, स्वांसनली स्वस्थ थे, छाती की केविटि में खून भरा हुआ था, दाहिना फेंफड़ा फटा हुआ था एवं बायां फेंफड़ा स्वस्थ था। हृदय व बृहद वाहिका स्वस्थ थे। आँत, झिल्ली व ग्रास नली स्वस्थ थे और उसके भीतर फूड मटेरियल उपस्थिति था। बड़ी आँत और छोटी आँत के अंदर फूड मटेरियल उपस्थिति था। यकृत, प्लीहा, गुर्दा, मूत्राशय और दिल और बाहरी जनन इंद्रियाँ स्वस्थ थी। मृतिका के कपड़े, दो स्लाइड, एक स्वाव गुप्तांगों से बनाए थे एवं फेंफड़ा, हृदय, यकृत, गुर्दा, प्लीहा के नमूने व पेट, छोटी आँत, बड़ी आँत, एक घोल नमूना लेकर थाने भेजा गया था।

09. उक्त चिकित्सक साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में बताया गया है कि मृतिका की मृत्यु का कारण दिल व स्वशनतंत्र का फेल होना था जो कि छाती में दाहिनी तरफ के चोटों के कारण थी, मृत्यु की अवधि पोस्टमार्टम के 24 घण्टे के भीतर की थी। मृत्यु की प्रकृति परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के द्वारा उक्त परीक्षण रिपोर्ट के पूर्व शॉर्ट रिपोर्ट देना भी बताया है जो कि प्र.पी. 3 है जिसमें मृत्यु का कारण उल्लेख है व मृतिका के बिसरा एवं बेजाइनल स्वाव और स्लाइड परीक्षण हेतु भेजा जाने के संबंध में बताया गया है।

10. इस प्रकार डॉक्टर हरीश हासवानी के कथन से स्पष्ट है कि मृतिका/पीडिता की मृत्यु हो गई थी जो कि उसको आई हुई चोटों के दिल व स्वसनतंत्र के फेल होने से हुई थी। मृतिका की मृत्यु हो जाना अभियोजन साक्षी मंसूर खाँ अ0सा0 4, रसीद खाँ अ0सा0 8, शेषरामभगत अ0सा01, आरक्षक गुरुदास अ0सा02, बंटी मेहरा अ0सा0 10, ईशुव खाँ अ0सा0 12, आर.एस.चौहान अ0सा0 13, नवरंगसिंह अ0सा0 18, तेजसिंह अ0सा0 19, ए.एम.सिद्दगी अ0सा0 20, शशीभूषण रघुवंशी अ0सा0 23 के कथनों से भी होती है। मृतिका की मृत्यु के

उपरांत उसकी लाश का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया है। नक्शा पंचायतनामा में भी इस बात का उल्लेख है कि उसकी मृत्यु कुँए में गिरने से आई चोटों से हुई है। मृतिका के शव की पहचान साक्षी मंशूर खां अ0सा04, रशीद खां अ0सा08, ईशुव खां अ0सा012 के द्वारा की गई है। इस प्रकार मृतिका/अभियोक्त्री की मृत्यु हो जाना प्रमाणित है।

11. अभियोक्त्री/मृतिका के संबंध में अभियोजन के द्वारा यह बताया जा रहा है कि आरोपीगण के द्वारा पहले अभियोक्त्री के साथ घटना दिनांक को घटना समय व स्थान पर सामूहिक बलात्संग की घटना की गई और इसी दौरान किसी अनुक्रम में अभियोक्त्री की हत्या की गई।

12. प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत समग्र साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि घटना के संबंध में कोई चक्षुदर्शी साक्षी मौजूद नहीं है जिनके द्वारा कि घटना देखी गई हो। इस प्रकार अभियोजन का प्रकरण मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य तथा अन्य साक्ष्य पर अवलंबित है।

13. अभियोजन प्रकरण के संबंध में अभियोजन की ओर से उपरोक्त बताए गए घटनाक्रम एवं प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत साक्षी ए.एम.सिद्दगी अ0सा0 20 जो कि दिनांक 29.02.2012 को थाना मौ पर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि उनके मोबाइल नम्बर 9893376073 पर मोबाइल नम्बर 8889310469 से रात के करीब 11:15 बजे सूचना मिली थी कि मंशाराम गूजर के खेत कुँए पर 07-08 व्यक्ति मौजूद है और एक महिला के चिल्लाने की आवाज आ रही है। सूचना देने वाले व्यक्ति ने अपना नाम नहीं बताया था। उक्त सूचना उसने थाना मौ के आरक्षक तेजसिंह को दी कि टी0आई को बता दो और तेजसिंह के द्वारा यह बताया गया कि टी0आई0 को उसने अवगत करा दिया है तथा ए.एस.आई. चौहान तस्दीक करने मौके पर जा रहे हैं आप भी थाने पर आ जाओ तो वह भी थाने पर पहुँचा गया। थाने से ए.एस.आई आर.एस.चौहान, एच.सी. नवरंगसिंह, शेषदेवरामभगत, आरक्षक तेजसिंह, बंटी एवं आरक्षक गुरुदास शासकीय वाहन को लेकर ग्राम जितरवई की तरफ रवाना हुए और मंशाराम गूजर के खेत कुँए जो कि अदूपुरा हार की तरफ पहुँचे तो एक मोटरसाइकिल खड़ी थी जिसके पास एक आदमी खड़ा था उसे नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम करतारसिंह बताया, उससे महिला व अन्य लोगों के बारे में पूछा गया तो उसी समय कुछ लोग भागे, आगे जाने पर कोठरी के पास एक व्यक्ति खड़ा मिला जो कि अर्द्धनग्न था जो कि केवल एक लुंगी पहने हुए था उसने अपना नाम सत्यभान बताया। आगे उक्त साक्षी के द्वारा बताया गया है कि पुलिस बल के द्वारा देखा गया तो सरसों के खेत में एक व्यक्ति खड़ा मिला जिसे पुलिस ने पकड़ लिया उसने अपना राधेश्याम बताया था। उन

तीनों लोगों ने महिला के बारे में पूछा गया तो उन्होंने महिला कुँए में गिरना बताया। कुँए में टार्च लगाकर देखा गया तो उसमें एक महिला औंधी पड़ी थी। उक्त तीनों लोगों से उक्त महिला का नाम पूछा गया तो उसका नाम उनके द्वारा बताया गया था। उस महिला को बचाने के लिए आवाजें उनके एवं फोर्स व अन्य सदस्यों के द्वारा दी गई, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। तीनों लोगों से पूछताछ करने पर उन्होंने अभियोक्त्री को संभोग के लिए लाना तथा अन्य सहअभियुक्त नरेश, मेवाराम, बीरवल, अतेन्द्र सिंह एवं अन्य व्यक्ति बलवीर आए थे जो पुलिस को देखकर भागना और भागते में अभियोक्त्री कुँए में गिर पडना बताया था। अभियोक्त्री भी अर्द्धनग्न अवस्था में थी तथा आरोपी सत्यभान भी अर्द्धनग्न केवल लुंगी लगाए हुए था। महिला का ब्लाउज, साल, ओडने व विछाने के कपड़े संदिग्ध परिस्थितियों में पाए जाने से तीनों को आरक्षक तेजसिंह व बंटी मेहरा के साथ शासकीय वाहन से पूछताछ करने हेतु थाने भेजा गया था। वह व अन्य फोर्स मौके पर सुरक्षा हेतु रहे। मृतिका के परिवारजन उसके जेठ इशुब खों मौके पर आए और कुँआ मालिक को भी सूचना भेजी गई। थाना प्रभारी के द्वारा मौके का निरीक्षण कर लाश को निकलवाकर लाश का पंचनामा बनाया गया और लाश को पी0एम हेतु रवाना किया गया।

14. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी आर.एस.चौहान अ0सा0 13 भी अपने साक्ष्य कथन में रात के 11:30 बजे ए.एस.आई सिद्धकी के मोबाइल पर आई सूचना के आधार पर और टी.आई के आदेशानुसार वह एवं अन्य पुलिस बल शासकीय वाहन से जितरवई हार में मंशाराम के अढूपुरा वाले खेत के पास पहुँचना जहाँ कि एक मोटरसाइकिल के पास खड़े व्यक्ति से नाम पूछने पर करतारसिंह तथा सत्यभान नाम बताना, वहाँ पर बने कमरे के पास पहुँचे तो 4-5 आदमी भागते हुए देखना जिनमें से एक आदमी को पकड़ा जाना जिसके द्वारा अपना नाम राधेश्याम बताना। उक्त तीनों लोगों से पूछताछ कर उनके द्वारा अन्य आरोपी नरेश, बीरवल, बलवीर, अतेन्द्र, मेवाराम के नाम बताना और महिला के बारे में बताया था तथा महिला को ग्राम उझावल का होना बताया था। कमरे के पास जाकर देखने पर विछाने के कपड़े एवं महिला का ब्लाउज तथा चारपाई के पास एक नेकर पड़ा होना जो कि आरोपी सत्यभान के द्वारा अपना होना बताया गया था। महिला की तलाश करने पर टार्च की रोशनी में देखा गया तो वह अर्द्धनग्न अवस्था में औंधे मुँह पड़ी थी और कोई हलचल नहीं कर रही थी। पकड़े गए आरोपियों को पूछताछ के लिए थाना भेजा दिया गया था और वे लोग घटना स्थल पर रुके रहे। थाना प्रभारी के आने पर लाश को कुँए से निकाला गया और इस संबंध में पंचनामा आदि की कार्यवाही की गई। साक्षी के द्वारा आरोपीगण करतार, सत्यभान एवं राधेश्याम की पहिचान की गई।

15. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षीगण एवं पुलिस बल के सदस्य जो कि घटना स्थल पर सूचना मिलने पर पहुँचने बताए गए हैं जो कि साक्षी प्र0आर0 शेषदेवरामभगत अ0सा0 1, आरक्षक गुरुदास अ0सा0 2, आरक्षक बंटी मेहरा अ0सा0 10, प्र0आर0 नवरंगसिंह भदौरिया अ0सा0 18, आरक्षक तेजसिंह अ0सा0 19 के कथन भी अभियोजन के द्वारा कराए गए हैं। उक्त साक्षीगण के द्वारा भी ए.एस.आई ए.एम.सिद्दगी तथा ए.एस.आई आर.एस.चौहान के द्वारा किया गया कथन का समर्थन करते हुए घटना दिनांक को ग्राम जितरवई के हार में पहुँचना और मौके पर आरोपी करतारसिंह, सत्यभान एवं राधेश्याम का मिलना जिन्हें पुलिस फोर्स के द्वारा पकड़ा जाना और उनसे पूछताछ किया जाना बताया है और पास बने हुए कुँए में महिला को पड़े हुए देखना बताया है। आरक्षक तेजसिंह अ0सा0 19 के द्वारा यह भी बताया गया है कि ए0एस0आई0 सिद्दगी के द्वारा फोन पर दी गई सूचना कि जितरवई में कुँए के पास कुछ बदमाशों और महिला के चिल्लाने की आवाज आ रही है। इसकी सूचना उसके द्वारा ए.एस.आई चौहान और टी0आई0 को दी गई थी। साक्षी बंटी मेहरा अ0सा0 10 के द्वारा यह भी बताया गया है कि उक्त पकड़े गए लोगों से महिला के बारे में पूछा गया तो महिला की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि कमरे के आड में कपड़े पहनने जाने से और कुँए की जानकारी न होने से कुँए में गिर गई है। महिला को संभोग करने के लिए सत्यभान, करतार के द्वारा लाया जाना बताया था। उक्त पकड़े गए लोगों को थाना छोड़ने के लिए शासकीय वाहन से थाने आए थे और उसके साथ आरक्षक तेजसिंह और वाहन का चालक भी था, जिसका समर्थन तेजसिंह अ0सा0 19 के द्वारा भी अपने कथन में किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि टी0आई0 के साथ बापस मौके पर पहुँचा और टी0आई0 के द्वारा लाश का पंचायतनामा बनाया गया था। मृतिका का विसरा और कपड़ों की शीलबंद पोटली, स्लाइड, शील नमूना जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 20 तैयार किया गया था। साक्षी गुरुदास अ0सा0 2, नवरंगसिंह भदौरिया अ0सा0 18 के द्वारा यह भी बताया गया है कि सुबह थाना प्रभारी के आने पर कुँए से महिला की लाश को निकाला गया था जो कि नग्न अवस्था में थी और इस संबंध में लिखापट्टी की गई थी।

16. वैज्ञानिक अधिकारी सीनऑफ़काईम मुरेना के ए.के.खॉन अ0सा0 14 जिनके द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाना और घटना स्थल के फोटोग्राफ लिया जाना तथा वहाँ पर पाए गए भौतिक साक्ष्य जिसका उल्लेख रिपोर्ट प्र.पी. 22 में करना बताते हुए उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर होना अभिकथित किया है।

17. साक्षी मंसूर खॉ अ0सा0 4 ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि उसके ताउ ईशुब खॉ ने उसे जानकारी दी कि उसकी माँ अभियोक्त्री खत्म हो गई है। उसने अपनी माँ

अभियोक्त्री की लाश देखी थी। उसके शरीर पर पेटीकोट और ब्लाउज था और सिर में चोट थी। सफीनाफार्म प्र.पी. 12, नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 13 पर उसके हस्ताक्षर हैं। यद्यपि उक्त साक्षी के द्वारा समग्र रूप से अपने कथन में प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और उसे अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन के अन्य साक्षी ईशुब खॉ अ0सा0 12 जो कि अभियोक्त्री का जेठ है के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया गया है, केवल बताया गया है कि उसके द्वारा मृतिका की लाश को थाने में पहिचानना गया था और सफीनाफार्म व लाश पंचायतनामा भी पुलिस के द्वारा थाने में बनाना अभिकथित किया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। साक्षी रशीद खॉ अ0सा0 8 जो कि मृतिका का भतीजा है के द्वारा भी केवल यह बताया गया है कि उसने भीड़ में केवल अपनी चाची को मृत अवस्था में देखा था। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

18. अभियोजन साक्षी हरबिलास अ0सा0 5 जो कि मृतिका की लाश को कुँए से निकालने एवं पंचनामे का साक्षी है, उसके द्वारा भी उक्त कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है। यद्यपि सफीना फार्म प्र.पी. 2 और नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 13 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इसी प्रकार साक्षी एहबरनसिंह अ0सा0 6 भी उपरोक्त बिन्दु का साक्षी होना बताया गया है, उसके द्वारा भी उक्त कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया गया है तथा साक्षी मंशाराम अ0सा0 7 के द्वारा भी उक्त बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया है, उसे भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। साक्षी केशवसिंह अ0सा0 9 जो कि घटना में घटना स्थल पर जप्त किए गए मोटरसाइकिल का स्वामी होना एवं आरोपी करतार के द्वारा उससे मांगकर मोटरसाइकिल घटना दिनांक को ले जाने के संबंध में साक्षी होना बताया है। उसके द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है और उसे भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

19. प्र0आर0 निहालसिंह अ0सा0 21 मृतिका के अस्पताल मौ से प्राप्त कपड़ों की शीलबंद पोटली व विसरा उनके द्वारा जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 20 तैयार करना बताया है। इसके अतिरिक्त चड्डी हल्के नीले रंग की जप्ती प्र.पी. 31 के अनुसार, लुंगी हल्के सफेद रंग की जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 32 तैयार करना आरोपी राधेश्याम की चड्डी की जप्ती प्र.पी. 33 की कार्यवाही उसके समक्ष की जानी और उन पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। आरोपी करतार से एक मोबाइल सेमसंग कम्पनी का प्र.पी. 34 के अनुसार जप्त करना तथा आरोपी राधेश्याम के स्लाइड और गुप्तांगों के वाल प्र.पी. 27 के अनुसार जप्त करना, आरोपी नरेश,

मेवाराम, अतेन्द्र, बीरवल, बलवीर की स्लाइडों व कपडों की पोटली शीलबंद हालत में पेश करने पर जप्तीपत्रक प्र.पी. 26 तैयार करना, आरोपी करतार की स्लाइड और गुप्तांगों के बाल जप्त कर जप्तीपत्रक प्र.पी. 25 और आरोपी सत्यभान की स्लाइड प्र.पी. 28 के अनुसार जप्त करना बताया है। आरक्षक मुकेश कुमार शर्मा अ0सा0 16 जो कि आरोपी करतारसिंह के शीमन स्लाइड व गुप्तांगों के पैकेट लाकर थाने में देना एवं उसकी जप्ती प्र.आर. निहालसिंह के द्वारा प्र.पी. 25 के अनुसार करना बताया है।

20. चिकित्सक डॉ0 हरीश हाशवानी अ0सा0 3 आरोपी करतारसिंह, आरोपी सत्यभान, आरोपी राधेश्याम, आरोपी अतेन्द्र सिंह, आरोपी ब्रजेन्द्रसिंह, आरोपी मेवाराम, आरोपी बलवीरसिंह एवं आरोपी बीरवल सिंह का परीक्षण करना एवं परीक्षण में उक्त सभी लोगों को संभोग करने में सक्षम होना एवं उनके जननांगों के बाल व वीर्य की स्लाइड बनाकर परीक्षण हेतु भेजा जाना बताया है। इस संबंध में रिपोर्ट प्र.पी. 4, 5, 6, , 8, 9, 10 एवं 11 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना उनके द्वारा बताया गया है। इसी संबंध में डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0 15 के द्वारा आरोपी राधेश्याम तथा आरोपी सत्यभान का परीक्षण करना एवं परीक्षण में संभोग हेतु सक्षम होना पाया था इस संबंध में रिपोर्ट प्र.पी. 23 व 24 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। डॉ0 बी.अर्गल अ0सा0 17 ने दिनांक 14.03.12 को आरोपी सत्यभान का मेडीकल परीक्षण और उसके शरीर पर कोई चोट न पाना जो कि रिपोर्ट प्र.पी. 29 होना एवं आरोपी सत्यभान की शीमन स्लाइड प्र.पी. 30 के अनुसार तैयार की थी।

21. तत्कालीन थाना प्रभारी शशीभूषण रघुवंशी अ0सा0 23 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 01.03.2012 को इशुब खॉ के द्वारा अभियोक्त्री महिला की मृत्यु के संबंध में सूचना देने पर घटना स्थल ग्राम जितरवाई के हार मंशाराम के कुँए पर मार्ग इंटीमेशन अंतर्गत धारा 176 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किया गया था जो कि प्र.पी. 38 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। मार्ग की कायमी के उपरांत मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया था, नक्शा मौका प्र.पी. 39 बनाया था। शव के पंचनामा की कार्यवाही की थी और इस संबंध में सफीना फार्म प्र0पी0 12 जारी किया था और गवाहों के समक्ष शव पंचायतनामा बनाया था जो प्र0पी0 13 है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। मार्ग की जाँच के दौरान उन्होंने साक्षी मंशाराम, अहिवरनसिंह, इशुब खॉ, रामशरण, अनीष मोहम्मद, रशीद खॉ, मंसूर खॉ, प्र0आर0 नवरंग, प्र0आर0 शेषदेवरामभगत, आरक्षक गुरुदास, बंटी मेहरा और तेजसिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे। मार्ग कायमी और जाँच पर से घटना का अपराध घटित होना पाए जाने से प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 48/2012 धारा 302/201, एवं 376(2)(छ) भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया गया था। साक्षी के द्वारा विवेचना की कार्यवाही के

दौरान उपरोक्त बताए गए साक्षियों के अतिरिक्त साक्षी रघुराज, शिवराज, केशवसिंह एवं विनोद के कथन लेखबद्ध करना भी बताया है। आरोपी सत्यभान को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 35 बनाया जाना और आरोपी सत्यभान से पूछताछ करने पर उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एक लुंगी (तैमद) नीले कलर का जप्त करना जो कि मेमोरेडम प्र.पी. 41 एवं जप्ती पंचनामा प्र.पी. 32 बनाना और जिस पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। इसी प्रकार आरोपी करतार को गिरफ्तार करना और गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 36 तैयार करना। विवेचना के दौरान करतार सिंह की दी गई सूचना के आधार पर मोबाइल जिससे कि मृतिका को फोन करना बताया था उसे बरामद करने की सूचना दी थी जो कि मेमोरेडम प्र.पी. 42 है। उक्त सूचना के आधार पर आरोपी करतारसिंह के पेश करने पर एक मोबाइल सेमसंग कम्पनी का जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 34 तैयार करना जिस पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। आरोपी करतार से उसकी पहनी हुई जॉधिया जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 31 तैयार करना बताया है। आरोपी राधेश्याम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 37 बनाना और उससे जॉधिया और चड्डी जप्त करना बताया गया है जो कि जप्ती पत्रक प्र.पी. 33 बनाना बताया है। इसी प्रकार आरोपी बीरवल, बलवीर, अतेन्द्र, मेवाराम, नरेश को गिरफ्तार करना और गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 44, 45, 46 एवं 47 तैयार करना बताया है।

22. साक्षी के द्वारा आगे यह भी बताया गया है कि विवेचना के दौरान घटना स्थल से गवाहों के समक्ष घटना स्थल पर पाई गई एक साड़ी, स्वेटर, एक जोड़ गाले रंग की चप्पलें, एक दरी, एक सोल, एक ब्लाउज, एक मर्दानी सोल, एक चद्दर, तीन खाली खोखे बीडी बिण्डल, बीडी के टूट एवं माचिस की जली हुई तीलियाँ, शराब का पॉव, पट्टे की एक चड्डी, पचास रुपए का एक नकली नोट तथा 110/- रुपए जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 49 बनाया था। जप्तशुदा वस्तुओं को परीक्षण हेतु भिजवाया गया था। विवेचना के दौरान मोबाइल नम्बर 8889310469 की कॉलडिटेल् बुलाई गई थी जिस पर उनकी टीप अंकित है और उस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं जो कि प्र.पी. 51 है। घटना स्थल के फोटो कराए गए थे।

23. राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी. 1 के अनुसार मृतिका अभियोक्त्री के जप्त बताए गए पेटीकोट सी1, ब्रा सी2, स्लाइड डी, साल आई, साड़ी एल पर रक्त होना पाया गया था। इस संबंध में सीरोलॉजी रिपोर्ट प्र.सी.2 के अनुसार मृतिका के पेटीकोट सी1, सोल आई, साड़ी एल में बी ग्रुप का खून होना पाया गया रिपोर्ट प्र.सी1 में जप्तशुदा परीक्षण हेतु भेजे गए मृतिका के पेटीकोट प्र.सी.1, स्लाइड डी, घटना स्थल से बरामद जॉधिया एफ, चड्डी एच, घटना स्थल से जप्त चद्दर जे, चड्डी के, आरोपी नरेश की

स्लाइड ओ1, चड्डी ओ2, आरोपी मेवाराम की स्लाइड पी1 और चड्डी पी2, आरोपी अतेन्द्र की स्लाइड क्यू1 और चड्डी क्यू2, आरोपी बीरवल की स्लाइड व चड्डी आर1 व आर2, आरोपी बलवीर की स्लाइड व चड्डी एस.1 व एस2, आरोपी राधेश्याम के स्लाइड यू, आरोपी सत्यभान की स्लाइड डब्ल्यू और आरोपी करतार की स्लाइड एक्स1 में वीर्य के धब्बे एवं मानव शुक्राणू होने पाए गए थे।

24. बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्षी बबलू खॉ बचाव साक्षी क्रमांक 1, अमरसिंह साक्षी क्र. 2, जगदीश बचाव साक्षी क्र. 3, कल्याणसिंह बचाव साक्षी क्र. 4 के कथन कराए हैं। बचाव साक्षियों के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि मृतिका अभियोक्त्री का थाना मौ के ए.एस.आई. सिद्दगी से संबंध थे और वह उनके कमरे पर आती जाती और रुकती थी, उसे ए.एस.आई सिद्दगी के साथ मोटरसाइकिल पर आते जाते देखा गया है। घटना स्थल पर किसी प्रकार की कोई घटना, घटना दिनांक को नहीं हुई थी। साक्षी कल्याणसिंह के द्वारा यह भी बताया गया है कि ए0एस0आई सिद्दगी के द्वारा अपने को बचाने के लिए झूठा मुकद्दमा आरोपीगण पर लगा दिया गया है। झूठे मुकद्दमे में फंसा देने के संबंध में शिकायतें मुख्यमंत्री एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को जरिए रजिस्ट्री भेजा गया था जो कि इस संबंध में रजिस्ट्री की प्रति प्र.डी. 8 तथा डॉक से भेजने की रशीद प्र0डी0 9 लगायत 15 है।

25. अभियोजनपक्ष एवं बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य कथन के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की प्रमाणिकता एवं बचाव पक्ष के द्वारा लिये गये आधारों के संबंध में समग्र साक्ष्य पर विचार करते हुये साक्षियों की विश्वसनीयता एवं उनके द्वारा प्रमाणित किये गये तथ्यों के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा।

26. अभियोजन प्रकरण के संबंध में जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी घटना के संबंध में मौजूद नहीं है। अभियोजन प्रकरण मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य व प्रकरण में आई अन्य साक्ष्य पर अवलम्बित है। अभियोजन के द्वारा आरोपीगण के अपराध में संलग्न होने के संबंध में जो परिस्थितियां मुख्य रूप से बतायी जा रही हैं उसमें मुख्य रूप से निम्न परिस्थितियां बताई हैं:-

1. मृतिका का शव अर्द्धनग्न अवस्था में घटना स्थल के पास स्थिति कुँए में पाया जाना।
2. आरोपीगण की घटना स्थल के निकट मौजूदगी एवं मृतिका के पास अंतिम बार देखा जाना।
3. घटना स्थल पर स्थित कमरे की स्थिति एवं जप्ती की कार्यवाही।

प्रथम परिस्थिति— शव अर्द्धनग्न अवस्था में कुँए में पाया जाना

27. इस संबंध में प्रकरण के विवेचना अधिकारी शशीभूषण सिंह रघुवंशी अ0सा0 23 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि घटना स्थल पर पहुँचने के उपरांत उन्होंने मौके पर घटना स्थल का निरीक्षण किया था और नक्शा मौका प्र.पी. 39 बनाया था। सफीना फार्म प्र.पी. 12 जारी किया था एवं लाश के पंचायतनामे की कार्यवाही की थी, लाश पंचायतनामा प्र.पी. 13 बनाया था। लाश पंचायतनामा प्र.पी. 13 में **निरीक्षण स्थल** में इस बात का उल्लेख है कि, “मृतिका का शव कुँए में औंधा पड़ा था, पीठ उपर है जिस पर कोई कपड़ा नहीं है, जाँघों के नीचे पैर उधारे हैं, बीच में पेटीकोट हरे रंग का दिख रहा है, नीचे साड़ी, कपड़े, चप्पल स्वेटर दिख रहे हैं, सिर पश्चिम में तथा पैर पूर्व में है।” **निरीक्षण शव** में बात का उल्लेख है कि— “शव कुँआ से पंचान एवं उपस्थिति लोगों के मदद से मौके पर पाई खटिया डालकर रस्सों की सहायता से बाहर कुँए से निकालकर रखा गया। शरीर पर कपड़ा न होने से उसके उपर हरा साल डाला गया, उसके शरीर पर एक हरे रंग का पेटीकोट पाया गया जिसका कि नाडा खुला था जो कि जाँघों तक सिमटा और कमर में ढीला है। कुँए में शव के नीचे साड़ी, स्वेटर तथा पास में चप्पल मिलने से निकाला गया और कुँए से निकाल कर शव कमरे के सामने खटिया पर रखा गया।” इसके अतिरिक्त शव के निरीक्षण में मृतिका के सिर में दाहिने तरफ गहरा चोट का घाँव होकर खून बहना, माथे पर नाक के नीचे भी मूदी चोट दिखाई देना, दाहिनी तरफ कमर, जाँघ व पैरों में छिलने जैसे निशान दिखाई देने का उल्लेख आया है।

28. घटना स्थल की स्थिति के संबंध में शीन ऑफ काइम युनिट मुरैना के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ए.के.खॉन अ0सा0 14 के द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण कर वहाँ पर निरीक्षण के दौरान पाई गई साक्ष्य के संबंध में उनके द्वारा रिपोर्ट प्र.पी. 22 लेखबद्ध करना जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है और घटना स्थल की फोटोग्राफ्स लिया जाना अभिकथित किया है। यद्यपि उक्त साक्षी के द्वारा मृतिका का शव उनके पहुँचने तक कुँए से पुलिस के द्वारा निकाल लिया जाना स्वीकार किया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उनके पहुँचने से पहले कुँए से महिला का शव निकाल लिया गया था उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट में घटना स्थल की स्थिति और वहाँ पर पाई गई साक्ष्य जिसका कि वर्णन रिपोर्ट में किया गया है उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके द्वारा अपने प्राथमिक अभिमत में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पाई गई भौतिक साक्ष्य से अभियोक्त्री के साथ बलात्कार होने के संकेत प्राप्त होने बावत् उल्लेख किया है। इस प्रकार मृतिका जो कि घटना स्थल पर अर्द्धनग्न अवस्था में पाई गई और उसके शरीर

पर चोटें पाए जाने की सम्पुष्टि साक्षी ए.के.खॉन अ0सा0 14 के कथन के आधार पर होती है। मौके पर घटनास्थल और मृतिका के खींचे गये फोटोग्राफ जो कि प्रकरण के साथ संलग्न हैं के आधार पर भी इस बात की पुष्टि होती है कि मृतिका का शव कुँए में पाया गया है और शव अर्द्धनग्न अवस्था में है और महिला के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। उक्त फोटोग्राफ के संबंध में जो कि डिजीटल केमरे के द्वारा लिये गये फोटोग्राफ हैं और उनमें उनके लिये जाने की तारीख 1-3-12 स्पष्ट रूप से अंकित है। मात्र इस आधार पर कि उक्त फोटोग्राफ के निगेटिव पेश नहीं किये गये हैं उन्हें अमान्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मृतिका के लिये गये उक्त फोटोग्राफ के आधार पर भी मृतिका की स्थिति एवं घटनास्थल की पुष्टि होती है।

29. इसके अतिरिक्त उपरोक्त संबंध में घटना स्थल की सूचना मिलने पर पहुँचने वाले पुलिस अधिकारी ए.एस.आई आर.एस.चौहान अ0सा0 13 जो कि अन्य पुलिस बल के साथ सूचना मिलने पर सर्वप्रथम घटना स्थल पर पहुँचे थे, उनके द्वारा भी साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि मौके पर पहुँचने पर वहाँ पर मौजूद लोगों से महिला के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अभियोक्त्री का नाम बताया था। महिला का ब्लाउज चारपाई के पास पड़ी थी, टार्च की रोशनी में देखा गया तो महिला अर्द्धनग्न अवस्था में औंधें मुँह पड़ी हुई थी जिसको आवाज दी गई और उसकी कोई हलचल नहीं हुई। दूसरे दिन टी0आई0 के आने पर लाश को कुँए से निकलवाया गया और पंचायतनामा आदि की कार्यवाही की गई। इस बिन्दु पर अन्य अभियोजन साक्षी तत्कालीन ए.एस.आई ए.एम.सिद्दगी अ0सा0 20 के द्वारा भी बताया गया है कि मौके पर पहुँचने पर देखा कि कुँए 25-30 फिट गहरा था और चार्ट की रोशनी में देखा जाने पर एक महिला की लाश औंधी पड़ी हुई थी। पाए गए व्यक्तियों ने उसे अभियोक्त्री होना बताया था। उसे बचाने के लिए आवाजें दी एवं फोर्स ने भी हिलने डुलने के लिए कहा, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अभियोक्त्री अर्द्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। थाना प्रभारी के मौके पर आने के उपरांत मौके का निरीक्षण कर कुँए से लाश निकाली गई थी और लाश का पंचायतनामा बनाया गया था।

30. उपरोक्त संबंध में पुलिस बल के अन्य सदस्यगण जो कि घटना स्थल पर पहुँच गए थे, तेजसिंह अ0सा0 19 ने भी महिला को कुँए में अर्द्धनग्न अवस्था में पड़ी होना देखना और उसे आवाज लगाया जाना और कोई जबाब उसके द्वारा न देना बताया है। इसी प्रकार नवरंगसिंह भदौरिया अ0सा0 18 भी कुँए के अंदर महिला का पडा होना और उसमें से किसी प्रकार की कोई आवाज न आना बताया है और बाद में लाश को निकालकर उसकी लिखापढी करना भी साक्षी के द्वारा बताया गया है जिसका समर्थन बंटी मेहरा अ0सा0 10,

शेषदेवरामभगत अ0सा0 1, गुरुदास अ0सा0 2 के कथन से भी होता है। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्षियों के कथनों के प्रतिपरीक्षण उपरांत उपरोक्त बिन्दुओं पर उनके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण या आधार दर्शित नहीं होता है। मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी है, उनके इस बिन्दु पर साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है।

31. यद्यपि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण मंसूर खॉ अ0सा0 4, हरविलास अ0सा0 5, अहिबरनसिंह अ0सा0 6, मंशाराम अ0सा0 7, रशीद खॉ अ0सा0 8, ईशब खॉ अ0सा0 12 के द्वारा सफीनाफार्म एवं लाश पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर एवं अंगूठा होना स्वीकार किया है, किन्तु नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 13 घटना स्थल पर बनाए जाने के संबंध में उक्त साक्षीगण के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन किन्हीं अज्ञात कारणों से नहीं किया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उपरोक्त साक्षीगण के द्वारा उक्त कार्यवाही के संबंध में कार्यवाही स्थल के बावत् अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही को संदिग्ध या बनावटी माने जाने का कोई आधार भी नहीं हो सकता है।

32. अभियोक्त्री जिसका कि शव परीक्षण डॉ० हरीश हासवानी के द्वारा किया गया है उन्होंने भी अपने साक्ष्य कथन में अभियोक्त्री के सिर पर दाहिनी तरफ फटा हुआ घाँव जिसका आकार 1.5 इंच गुणा 01 इंच मौजूद होना जिसमें से खून निकलना। इसके अतिरिक्त दाहिनी भुजा टूटी होना, छिलन के निशान पीठ पर और दाहिनी तरफ के चौथी व पांचवी पसली टूटी होना पाया गया है। उक्त चोटें शव परीक्षण के 24 घण्टे के अंदर की होना उनके द्वारा अपने अभिमत में बताया गया है। इस प्रकार मृतिका को आई हुई चोटें शव परीक्षण के 24 घण्टे के अंदर की पहुँचाई जानी भी स्पष्ट होती है। उक्त तथ्य भी इस बात की पुष्टि करता है कि मृतिका के शरीर पर जो चोटें पहुँचाई गई है वह घटना के दौरान उसे पहुँचाई गई।

33. इस प्रकार घटना स्थल पर कुँए पर अभियोक्त्री की लाश अर्द्धनग्न अवस्था में पाये जाने एवं उसके शरीर पर चोटों के संबंध में बताई जा रही परिस्थिति प्रमाणित होती है।

द्वितीय परिस्थिति— आरोपीगण की घटना स्थल के निकट मौजूदगी एवं मृतिका के पास अंतिम बार देखा जाना

34. अभियोजन के द्वारा आरोपीगण के घटना में संलग्न होने के संबंध में प्रमुख रूप से जो परिस्थिति बताई जा रही है वह परिस्थिति अभियोजन के अनुसार आरोपीगण घटना स्थल के पास जहाँ कि मृतिका का शव पड़ा हुआ था रात के समय उसके पास देखा गया

था, उनके द्वारा अपनी वहाँ मौजूदगी के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका है। ऐसी दशा में आरोपीगण के अपराध में संलग्नता का तथ्य प्रमाणित होना पाया जाता है।

35. घटना स्थल पर आरोपियों के देखे जाने के संबंध में अभियोजन साक्षी ए.एम. सिद्दगी अ0सा0 20 के द्वारा घटना स्थल मंशाराम के खेत के कुँआ ग्राम अडूपुरा हार पहुँचने पर एक मोटरसाइकिल खड़ी होना जिसके पास एक आदमी खड़ा था उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम करतारसिंह होना बताया था तथा कोठी के पास एक व्यक्ति खड़ा मिला था जो अर्द्धनग्न था केवल लुंगी लगाए हुए थे उसने अपना नाम सत्यभान होना बताया था। पुलिस बल आगे गया तो सरसों के खेत में एक व्यक्ति मिला था जिसे पकड़कर लाये जाने पर उसने अपना नाम राधेश्याम बताया था। इस बिन्दु पर अभियोजन के अन्य साक्षी ए.एस.आइ आर.एस.चौहान अ0सा0 13 के द्वारा भी घटना स्थल पर मिले लोगों के द्वारा अपना नाम करतारसिंह, सत्यभान और राधेश्याम उनके द्वारा होना बताया था तथा हाजिर अदालत आरोपीगण में उक्त तीनों लोगों करतारसिंह, सत्यभान एवं राधेश्याम की पहिचान साक्षी के द्वारा न्यायालय में की गई है। इसी प्रकार साक्षी तेजसिंह अ0सा0 19 भी आरोपी करतारसिंह, आरोपी सत्यभान और आरोपी राधेश्याम को मौके पर देखा जाना और उन्हें पूछताछ हेतु थाने ले जाया जाना बताया है। इस बिन्दु पर अन्य अभियोजन साक्षी शेषदेवरामभगत अ0सा0 1 के द्वारा भी आरोपी सत्यभान, करतार एवं राधेश्याम को मौके पर देखा जाना एवं उन्हें थाना मौ ले आना बताया गया है तथा साक्षी गुरुदास अ0सा0 2 के द्वारा भी हाजिर अदालत आरोपी राधेश्याम, सत्यभान और करतार को मौके पर मौजूद होना और उन्हें फोर्स के द्वारा पकड़कर पूछताछ हेतु थाना ले आना बताया है। इसी प्रकार साक्षी बंटी मेहरा अ0सा0 10 के द्वारा भी आरोपी सत्यभान, राधेश्याम और करतार के मौके पर मिलने जो कि एक व्यक्ति आम के पेड़ के नीचे मोटरसाइकिल के पास मौजूद होने जिसके द्वारा अपना नाम करतारसिंह बताना तथा कमरे के पास एक व्यक्ति अर्द्धनग्न अवस्था में मिला उसके द्वारा अपना नाम सत्यभान बताया था तथा एक अन्य व्यक्ति के भी खेत की तरफ भागने जिनमें से एक को पकड़ा जाना उसके द्वारा अपना नाम राधेश्याम बताना अभिकथित किया है। साक्षी नवरंगसिंह भदौरिया अ0सा0 18 के द्वारा भी आरोपी करतारसिंह, सत्यभान एवं राधेश्याम का मौके पर घटना स्थल के पास मिलना बताया है।

36. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्षियों के कथन की विश्वसनीयता का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में साक्षी आर0एस0चौहान अ.सा. 13 रात को 11:30 बजे सूचना प्राप्त हुई तथा उक्त सूचना थाना प्रभारी शशीभूषण रघुवंशी को दी जाने के उपरांत पौने 12 बजे रवाना होना बताया है तथा 12 बजकर 15 मिनट पर ग्राम जितरवई

पहुँचना बताया है। कंडिका 8 में साक्षी के द्वारा बताया गया है कि जिन तीन व्यक्तियों को संदेह के आधार पर मौके पर पकड़ा गया था उन्हें अन्य फोर्स के साथ थाने पूछताछ के लिए भेज दिया गया था, मौके पर उनके द्वारा कोई लिखापट्टी नहीं की गई थी। मात्र इस आधार पर कि मौके पर पाए गए व्यक्ति राधेश्याम, सत्यभान एवं करतारसिंह की मौके पर ही कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, बल्कि उन्हें संदेही मानते हुए वरिष्ठ अधिकारी थाना प्रभारी के समक्ष पूछताछ करने हेतु भेज दिया गया, इस आधार पर साक्षी की विश्वसनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना स्थल पर आरोपी करतार, राधेश्याम और सत्यभान नहीं मिले थे। इस प्रकार साक्षी आर.एस.चौहान अ0सा0 13 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में कोई भी तात्त्विक या गंभीर प्रकार का विरोधाभास या बिसंगति होनी दर्शित नहीं होती जिससे कि उनकी विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। साक्षी के द्वारा आरोपीगण को घटना में झूठा लिप्त करने के आशय से कथन किए जा रहे हों ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है।

37. इस संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य प्रमुख साक्षी ए.एम.सिद्दगी अ.सा. 20 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके साक्ष्य कथन की विश्वसनीयता का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त साक्षी जिनके मोबाइल पर सर्वप्रथम घटना स्थल पर 7-8 व्यक्तियों के मौजूद होने व महिला के चिल्लाने की आवाज आने की सूचना मिलना बताया है और उनके द्वारा उक्त सूचना आरक्षक तेजसिंह के माध्यम से थाना प्रभारी को दी एवं तत्पश्चात् वह तस्दीक करने हेतु भेजी गई टीम के साथ घटना स्थल पर पहुँचे थे। उन्हें फोन करने वाले व्यक्ति के संबंध में उनके द्वारा कंडिका 3 में बताया है कि उस व्यक्ति का नाम पूछा था, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया था और न ही उनके सामने आया था। कंडिका 11 में बताया है कि जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी उसने यह बताया था कि वह जितरवई रोड पर मिल जाएगा, किन्तु वह जितरवई रोड पर नहीं मिला था। मात्र इस आधार पर कि घटना स्थल के संबंध में सूचना करने वाला व्यक्ति सामने नहीं आया तथा उसके द्वारा अपना नाम नहीं बताया गया अथवा उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा ट्रेस करने का प्रयास नहीं किया गया है। इस आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण की विश्वसनीयता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

38. साधारणतः अपराध घटित होने की दशा में कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि वह सामने परिदृश्य में आए, विशेषकर गाँव एवं विशिष्ट क्षेत्रों में जहाँ कि प्रभुत्व सम्पन्न जातियाँ भी रहती हैं उनके विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आना चाहता है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि घटना स्थल के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम आदि पता नहीं चला और वह सामने नहीं आया है तो इससे उक्त साक्षी के कथन की विश्वसनीयता पर कोई

विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। कंडिका 14 में साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि मौके पर पाए गए व्यक्तियों के संबंध में संदिग्ध परिस्थिति पाए जाने से ए.एस.आई चौहान के द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए थाने भिजवाया था। घटना स्थल पर 12:30 बजे करीब पहुँचना एवं उसी दौरान संदेहियों को घटना स्थल पर पाया जाना और उनके द्वारा कंडिका 16 में बताया है कि तीनों आदमियों को पकड़ने में 15 से 20 मिनट का समय लगा होगा। साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि वह संदेहियों को आरक्षक बंटी, तेजसिंह और चालक केशवसिंह के साथ थाने भिजवा दिया गया था तथा वह रात्रि को घटना स्थल पर ही रहा था। इस संबंध में साक्षी के द्वारा कंडिका 17 में यह बताया जा रहा था कि उस दिन उनका बी.पी. हाई हो गया था, इसलिए वह लेटा हुआ था। टी.आई. के द्वारा आने पर मौके पर क्या कार्यवाही की यही नहीं बता सकता, किन्तु उक्त आधार पर भी कि साक्षी प्रतिपरीक्षण में उसका बी.पी. हाई हो जाना बता रहा है उसके साक्ष्य कथन पर अविश्वास या संदेह करने का कोई आधार नहीं हो सकता। साक्षी के द्वारा साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके मुख्य परीक्षण का कथन तात्विक बिन्दुओं पर अखण्डनीय रहा है। उक्त साक्षी को बचाव पक्ष के द्वारा दिए गए इस सुझाव से इंकार किया है कि उपरोक्त घटना स्वयं उसके द्वारा और उस लड़के के माध्यम से जो कि सूचना दे रहा था कराई गई और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस को बदनामी से बचाने के लिए आरोपी करतार, राधेश्याम और सत्यभान को मौके पर पकड़ा जाने के बारे में बता रहा है तथा इस सुझाव से भी इंकार किया है कि घटना स्वयं उनके द्वारा कराई गई थी।

39. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी तेजसिंह अ0सा0 19, नवरंगसिंह भदौरिया अ0सा0 18, बंटी मेहरा अ0सा0 10 एवं गुरुदास अ0सा0 2 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य कथन का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षियों के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में कोई भी तात्विक प्रकार का विरोधाभाष अथवा बिसंगति या लोप आना दर्शित नहीं होता है जिससे कि उनकी विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। उक्त साक्षीगण पुलिस कर्मचारी होने के कारण मात्र अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर कोई असत्य या बनावटी कथन कर रहे हैं ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी शेषदेवरामभगत अ0सा0 01 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षी 08-08:30 बजे सूचना मिलने पर घटना स्थल के लिए रवाना होने के संबंध में बताया है और इस संबंध में साक्षी के द्वारा पुलिस को दिए गए कथन एवं न्यायालय में हुए कथन में समय के बिन्दु पर तथा कतिपय अन्य बिन्दुओं पर विरोधाभाष आया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षी के द्वारा घटना स्थल पर रवाना होने के संबंध में जो समय बताया जा रहा है वह अन्य

साक्षियों के द्वारा बताए जा रहे समय से अलग है, उक्त साक्षी की विश्वसनीयता एवं अभियोजन प्रकरण के संबंध में प्रमाणित हो रहे तथ्य को अमान्य करने का कोई आधार नहीं हो सकता। साक्षी के न्यायालय में कथन करीब एक साल बाद हुए है इस दौरान स्वभाविक रूप से कुछ विस्मृति हो सकती है। विशेषकर पुलिस बल के सदस्य रहते हुए जो कि कई कार्यवाहियों में उन्हें हिस्सा लेना होता है यदि इस प्रकार का कोई विरोधाभास आ भी रहा हो तो उसके आधार पर उसकी विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती तथा इस आधार पर कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

40. यद्यपि यह सत्य है कि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी साक्षीगण पुलिस अधिकारी व कर्मचारी है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षी पुलिस बल के सदस्य है उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। कोई साक्षी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी है मात्र इस आधार पर उसकी सारी साक्ष्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, बल्कि पुलिस साक्षी के साक्ष्य को भी सामान्य साक्षी की तरह माना जाना चाहिए। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **करमजीत सिंह वि० स्टेट (2003) 5 एस.सी.सी. 291** में यह अभिधारित किया गया है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को अन्य साक्षीगण की साक्ष्य की तरह लेना चाहिए। विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अन्य साक्षीगण की पुष्टि के अभाव में पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है यह उपधारणा पुलिस अधिकारी के पक्ष में लेनी चाहिए। अच्छे आधारों के बिना किसी पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर अविश्वास करने या उसे संदेहास्पद माना जाना उचित न्यायिक परिपाटी नहीं है। **स्टेट ऑफ आसाम विरुद्ध मोहिम बरकाताकी ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 98** में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिधारित किया गया है कि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी है मात्र इस आधार पर उसके सम्पूर्ण साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती जब तक कि अभियुक्त के विरुद्ध उसके प्रतिकूल होने का तथ्य नहीं हों। इस संबंध में **रोशनसिंह वि० स्टेट ऑफ एम.पी. 2005 (1) एम.पी.एल.जे. 292, बाबूलाल वि० स्टेट ऑफ एम.पी. 2004 (2) जे.एल.जे. 425** भी उल्लेखनीय है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में जबकि कि ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि पुलिस के द्वारा हितबद्ध होकर कोई कार्यवाही की गई है अथवा आरोपीगण को झूठा लिप्त करने हेतु कोई कथन किया जा रहा है तो मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षीगण पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी है उनके कथनों को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। उपरोक्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा अपने कार्य के सामान्य अनुक्रम में कार्यवाही करते हुए घटना स्थल पर

पहुँचकर जहाँ कि कुँए में अभियोक्त्री मृत अवस्था में पाई गई थी उसके पास वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी सत्यभान, करतार एवं राधेश्याम को देखा गया जो कि रात के 12:30 बजे खेत के पास बने कुँए पर उक्त तीनों लोगों को देखा गया और पुलिस फोर्स के द्वारा उन्हें संदेही होने के आधार पर पकड़ कर पूछताछ हेतु थाने भेजा गया। निश्चित तौर से उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य कथन के आधार पर आरोपी सत्यभान, करतार और राधेश्याम की घटना स्थल पर अंतिम बार देखा जाना जो कि घटना स्थल के पास ही मृत्तिका अभियोक्त्री का मृत अवस्था में पाया जाने के तथ्य की पुष्टि होती है।

41. जहाँ तक प्रकरण में अन्य सह आरोपीगण मेवाराम, नरेश, बलवीरसिंह, अतेन्द्र सिंह और बीरवल सिंह के मौजूद होने और उन्हें घटना स्थल या उसके आसपास देखा जाने का प्रश्न है, इस संबंध में मात्र उपरोक्त बताए जा रहे आरोपी सत्यभान, करतार और राधेश्याम के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कि उनके साथ अन्य सहआरोपीगण मेवाराम, नरेश, बलवीरसिंह, अतेन्द्र सिंह और बीरवल भी मौजूद थे, उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है। एक सहअभियुक्त के द्वारा दूसरे सहअभियुक्त के संबंध में दी गई सूचना का उपयोग दूसरे के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। इस संबंध में **पप्पू वि० स्टेट 2000 (2) जे.एल.जे. 391** में यह अभिधारित किया गया है कि एक अभियुक्त की सूचना का उपयोग दूसरे के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार **लक्ष्मीनारायण विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2009 (1) एम.पी.एस.टी 478** में यह अभिधारित किया गया है कि एक व्यक्ति की सूचना के मेमो में किसी अन्य व्यक्ति के नाम का उल्लेख भी आया है तो वह दूसरे व्यक्ति के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य नहीं हो सकती।

42. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में घटना स्थल पर आरोपीगण सत्यभान, करतार और राधेश्याम के देखे जाने एवं मौजूद होने का तथ्य अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित है, किन्तु अन्य सहआरोपीगण मेवाराम, बलवीर, बीरवल, अतेन्द्र एवं नरेश की मौजूदगी का तथ्य साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं है।

43. उपरोक्त आरोपीगण सत्यभान, करतार और राधेश्याम जिन्हें कि रात के साढ़े 12 बजे के समय घटनास्थल पर पाया गया और घटनास्थल पर स्थित कुँए में अभियोक्त्री मृत अवस्था में पायी गयी है इस संबंध में अभियुक्तपरीक्षण के दौरान उपरोक्त आरोपीगण ने घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी के संबंध में पूछे गये प्रश्न में उनकी घटनास्थल पर उपस्थिति के तथ्य को गलत होना बताया है। किन्तु उस समय तीनों आरोपी घटनास्थल पर मौजूद न होकर कहां पर थे ऐसा कहीं भी उनके द्वारा नहीं बताया गया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के द्वारा भी कहीं भी उपरोक्त

आरोपीगण के घटनास्थल पर उपस्थित न होकर उनके अपने घर पर या किसी विशिष्ट स्थान पर उपस्थित होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं दी है। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी बबलू खां बचाव साक्षी कं01, अमरसिंह बचाव साक्षी कं02 एवं जगदीश बचाव साक्षी कं03 के द्वारा यह बताया गया है कि अभियोक्त्री ए0एस0आई0 सिद्धीकी के समाज की ही महिला थी और उनके साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुये उसे देखा गया था। बचाव साक्षी कलयाण सिंह बचाव साक्षी कं04 के द्वारा भी यह बताया गया है कि ए0एस0आई0 सिद्धीकी के साथ अभियोक्त्री को आते जाते देखा गया था और उसके मरने के बाद साजिश करके उनके द्वारा आरोपियों को फसाया गया है। इस संबंध में उसने और भूपेन्द्र सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायतें भेजी थी जो कि शिकायत की प्रति प्र0डी08 एवं डांक खाने की रशीदें प्र0डी09 लगायत 15 हैं।

44. बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्षी के कथनों में कहीं भी आरोपीगण सत्यभान, राधेश्याम और करतार के जिनकी कि घटनास्थल पर मौजूदगी प्रमाणित हुई है उन्हें घटना के समय कहीं अन्य उपस्थित होने या उनके अन्यत्र मौजूदगी के संबंध में कोई भी तथ्य नहीं बताया है। उक्त बचाव साक्षियों के द्वारा मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि घटना थाना मौ के ए0एस0आई0 सिद्धीकी के द्वारा की गयी अथवा करायी गयी है और आरोपियों को झूठा फसाया गया है। किन्तु इस संबंध में प्रकरण में आयी हुयी समग्र साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया आधार मात्र बचाव हेतु लिया गया हो आधार होना दर्शित होता है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारी को की गई शिकायतों के आधार पर जबकि उनके जांच उपरांत शिकायतों की कोई सत्यता होने का कोई प्रमाण नहीं है। मात्र उक्त शिकायतें करने के आधार पर बचाव पक्ष के द्वारा लिये गये आधार प्रमाणित नहीं होते।

तृतीय परिस्थिति— घटना स्थल पर कमरे की स्थिति एवं जप्ती की कार्यवाही

45. घटना स्थल पर स्थित कुँए के पास बने कमरे से पाये गए एक साडी, एक स्वेटर, एक जोड़ काले रंग की प्लास्टिक की चप्पलें, एक दरी, एक साल, ब्लाउज, एक मर्दानी साल, एक चद्दर, तीन खाली खोखे बीडी बिण्डल के, बीडी के टूट, माचिस की जली हुई तीलियाँ, शराब के पॉव, एक पट्टे की चड्डी, पचास रूपए का नकली नोट एवं 110 रूपए जप्त किया जाकर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 48 तैयार करना तथा घटना स्थल के पास से ही एक मोटरसाइकिल और एक टार्च की जप्ती कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 49 तैयार करना अनुसंधान अधिकारी शशीभूषण रघुवंशी अ0सा0 23 के द्वारा बताया गया है। इसके अतिरिक्त घटना स्थल के फोटोग्राफ भी कराए गए जो कि प्रकरण में संलग्न है। इसके अतिरिक्त आरोपी सत्यभान

की लुंगी नीले रंग की, आरोपी करतार से एक मोबाइल सेमसंग कम्पनी का तथा आरोपी करतार से एक जॉधिया की जप्ती करना और आरोपी राधेश्याम से भी उसकी पहनी हुई जॉधिया की जप्ती करना बताया है।

46. उपरोक्त विवेचना अधिकारी शशीभूषण रघुवंशी के प्रतिपरीक्षण उपरांत इस बिन्दु पर उसके साक्ष्य कथन का जहाँ तक प्रश्न है। कंडिका 32 में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी. 48 के अनुसार टेरीऊल की साडी और अन्य दर्शाए गई वस्तुएं घटना स्थल से जप्त नहीं की है। साक्षी जिसके द्वारा कि घटना स्थल का नक्शा मौका भी तैयार किया गया है। नक्शा मौका प्र.पी. 39 में भी कमरे की स्थिति दर्शाई है और कमरे में उक्त वस्तुएं होना उनके द्वारा दर्शाया गया है। विवेचक के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया गया है कि जिस स्थान पर उपरोक्त वस्तुएं वहाँ जप्त की है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता था, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त स्थल पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है या वह स्थान खुला हुआ है इस आधार पर प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में जप्ती की उपरोक्त कार्यवाही दूषित नहीं होती है।

47. यद्यपि उपरोक्त जप्ती की कार्यवाही के संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत जप्ती के साक्षीगण के द्वारा उक्त जप्ती का समर्थन नहीं किया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि जप्ती के साक्षियों के द्वारा उपरोक्त जप्ती की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया है इस संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही अविश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। इस संबंध में **कालेबावू वि० स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2008(4)एम.पी.एस.टी.** में यह अभिधारित किया गया है कि यदि जप्ती के संबंध में अन्य साक्षी पक्षविरोधी हो गए हैं तो मात्र इस आधार पर पुलिस अधिकारी के साक्ष्य को इंकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना स्थल पर सूचना मिलने के उपरांत तत्दीक करने हेतु पहुँचे पुलिस अधिकारी आर.एस.चौहान अ०सा० 13 के द्वारा भी स्पष्ट रूप से अपने कथन में यह बताया है कि कमरे में विछाने के कपड़े एवं महिला का ब्लाउज और चारपाई के पास एक नेंकर पड़ी दिखी थी जो कि आरोपी सत्यभान ने अपना होना बताया था और इसी प्रकार साक्षी ए.एम.सिद्धकी अ०सा० 20 के द्वारा भी बताया है कि कमरे में महिला का ब्लाउज, साल, ओढ़ने व विछाने के कपड़े संदिग्ध परिस्थितियों में थे। इस प्रकार उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य कथन के आधार पर भी मौके की स्थिति एवं जप्ती के संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी शशीभूषण रघुवंशी के द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पुष्टि होती है। इस संबंध में मौके की वस्तुस्थिति की सम्पुष्टि शीनऑफ़ काइम यूनिट के अधिकारी ए.के.खॉन अ०सा० 14 के कथन के आधार पर भी होती है।

48. क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी.1 के अनुसार मृतिका के जप्तशुदा पेटीकोट, ब्रा, स्लाइड तथा घटना स्थल से बरामद सोल 'आई' एवं साडी 'एल' में रक्त होना पाया गया है। मृतिका के पेटीकोट 'सी1' तथा घटना स्थल पर पाए गए सोल 'आई' और साडी 'एल' पर बी गुप का रक्त होना पाया गया है। उक्त रिपोर्ट में यह तथ्य भी आया है कि मृतिका के पेटीकोट सी1, स्लाइड डी, घटना स्थल से बरामद जॉधिया 'एफ', आरोपी करतार की चड़्डी 'एच', घटना स्थल से बरामद चद्दर 'जे' और चड़्डी 'के' जो कि आरोपी सत्यभान की होनी बताई जा रही है, आरोपी नरेश की स्लाइड, आरोपी राधेश्याम की स्लाइड 'यू', आरोपी सत्यभान की स्लाइड 'डब्ल्यू' तथा आरोपी करतार की स्लाइड 'एक्स1' पर वीर्य के धब्बे व मानव शुक्राणु होने पाए गए हैं। इस प्रकार घटना स्थल जो कि कमरे में होना बताया जा रहा है वहाँ पर बरामद किए गए सोल 'आई' और साडी 'एल' पर भी रक्त होना पाया गया है जो कि उसी समूह का रक्त है जो कि मृतिका के ब्रा पर पाया गया है। उक्त तथ्य भी इस बात को दर्शाता है कि मृतिका की घटना स्थल पर मारपीट की गई जो कि मृतिका के साथ उक्त स्थल जो कि कुँए के पास कमरा होना बताया जा रहा है उसमें मृतिका के साथ संभोग भी किया गया।

49. इस प्रकार घटना स्थल की स्थिति जो कि नक्शा मौका प्र.पी. 39 में दर्शाई गई है जिसमें कि मृतिका का ब्लाउज दरी के पास पड़ा होना, कमरे में दरी, एक लेडीज सोल, दो अन्य सोल, एक चद्दर, बीडी के बण्डल के खोखे, बीडी के जले हुए ठूँठ, माचिस की तीली और घटना स्थल के पास स्थिति कुँए में मृतिका का शव अर्द्धनग्न अवस्था में पाया जाना एवं कमरे से मृतिका की साडी, स्वेटर, प्लास्टिक की चप्पलें, सोल, दरी, ब्लाउज, मर्दानी सोल, चद्दर, पट्टे की चड़्डी, बीडी के ठूँठ, माचिस की जली तीलियाँ और शराब के पॉव तथा रूपए जिसकी जप्ती प्र.पी. 48 के अनुसार की है और घटना स्थल के पास मोटरसाइकिल एवं टार्च की जप्ती जिनकी जप्ती प्र.पी. 49 के अनुसार की गई है। उक्त मौके की स्थिति एवं जप्ती के आधार पर भी घटनाक्रम की पुष्टि होती है। मात्र इस आधार पर कि मोटरसाइकिल के स्वामित्व के संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है इस संबंध में की गई कार्यवाही प्रतिकूलित नहीं होती।

50. मृतिका की मृत्यु की प्रकृति का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में चिकित्सक डॉ० हासवानी के द्वारा परीक्षण रिपोर्ट में उपरोक्त मृतिका की मृत्यु का कारण दिल व स्वशनतंत्र का फेल हो जाना जो कि छाती में दाहिनी तरफ की चोटों से उसकी मृत्यु हो जाना उल्लेखित किया है तथा मृत्यु की प्रकृति के संबंध में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल सकना बताया है। मृतिका की मृत्यु आत्म हत्यात्मक प्रकार की है ऐसा कहीं

भी दर्शित नहीं है। उक्त मृत्यु दुर्घटनात्मक प्रकार की होने का भी कोई आधार नहीं है, बल्कि प्रकरण में आई हुई समस्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह परिलक्षित होता है कि मृत्तिका जिसके साथ कि सामूहिक बलात्कार की घटना की जा रही थी उसके प्रतिरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसे पास में स्थिति कुँए में फेंक दिया गया जो कि हत्या की प्रकृति सदोष मानव वध की कोटि का होकर हत्यात्मक प्रकार की है।

51. परिस्थितिजन्य साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की दशा में न्यायालय के समक्ष प्रमाणित परिस्थितियों के आधार पर जो कि स्थापित तथ्यों एवं परिस्थितियों से आरोपी के अपराध में संलग्न होने बावत् अनुमान लगाते हैं, इस संबंध में आरोपी के द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है और इस प्रकार के मामलों में यदि अभियुक्त के द्वारा असत्य बचाव लिया जा रहा है तो इसे भी परिस्थिति की एक श्रृंखला उसके विरुद्ध मानी जा सकती है। जैसा कि इस संबंध में **संतोष कुमार वि० स्टेट (2010)9 एस.सी.सी. 747** में अभिधारित किया गया है। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में आई हुई साक्ष्य जिसका कि पूर्व में विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है के परिप्रेक्ष्य में घटना स्थल पर आरोपीगण के घटना के तुरंत पश्चात् मौजूद होना जो कि मौके पर उन्हें अंतिम बार देखा जाना और उनका आचरण तथा व्यवहार घटना स्थल के पास कुँए में मृत्तिका का मृत शरीर नग्न अवस्था में पड़ा होना तथा घटना स्थल की स्थिति एवं घटना स्थल से हुई जप्ती की कार्यवाही के आधार पर आरोपीगण करतार, सत्यभान एवं राधेश्याम के अपराध में आलिप्त होने के संबंध में परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। इस संबंध में उक्त आरोपीगण के द्वारा लिया गया बचाव असत्य होना पाया गया है जो कि उनके द्वारा लिया गया मिथ्या बचाव भी परिस्थिति में एक श्रृंखला में उनके विरुद्ध मानी जाएगी।

52. बचाव पक्ष अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क में अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद होने के संबंध में मुख्य रूप से निम्न आधार लिए गए हैं कि— एक ही व्यक्ति के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट कायमी कर विवेचना की कार्यवाही की गई है जो कि न्यायिक सिद्धांत के विपरीत है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि प्रकरण में विवेचना की कार्यवाही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए बिना की गई है जिस कारण उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही मान्य किये जाने योग्य नहीं है। घटना स्थल पर पहुँचने के संबंध में अभियोजन साक्षियों के कथनों में परस्पर विरोधाभासी तथ्य आये हैं, आरोपी सत्यभान, करतार और राधेश्याम को अभिरक्षा में रखे जाने एवं उनकी गिरफ्तारी के तथ्य के संबंध में भी वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं है, आरोपीगण जिनका कि मेडीकल परीक्षण कराया गया है उनके शरीर पर किसी

प्रकार की कोई चोट आदि नहीं पाई गई है। इसके अतिरिक्त विवेचना अधिकारी के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल या उसके आसपास से कोई खून लगी हुई मिट्टी आदि की जप्ती नहीं की गई है, घटना स्थल से बरामद मोटरसाइकिल किस के स्वामित्व की है इस बावत् कोई प्रमाण नहीं जुटाया गया है। मोबाइल कॉल डिटेल् के संबंध में सायवर विशेषज्ञ के कथन भी नहीं कराए गए हैं। घटना स्थल के पास के रिहायसी लोगों के कथन भी नहीं लिये गये हैं। इस प्रकार अनुसंधान में कई कमियाँ उनके द्वारा छोड़ी गई हैं। प्रकरण जो कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर अवलंबित है उसमें परिस्थितियों की कड़ी संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन प्रकरण आरोपीगण या किसी भी आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है, बल्कि बचाव पक्ष के द्वारा आरोपियों को झूठा फंसाया जाने का आधार प्रमाणित होना जिस परिप्रेक्ष्य में आरोपीगण दोषमुक्त के पात्र हैं।

53. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया प्रथम आधार कि प्रकरण में जाँच, एफ.आई.आर. (कायमी) तथा विवेचना की समस्त कार्यवाही एक ही पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई है जो कि थाना प्रभारी शशीभूषण रघुवंशी के द्वारा उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है, उसी अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज किया जाना और अन्वेषण किया जाना विधि अनुसार नहीं है। इससे उनके द्वारा की गई कार्यवाही दूषित होती है और अभियोजन प्रकरण मान्य किया जाने योग्य नहीं है। इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा **ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 2637 टी.टी. ऐन्टनी वि० स्टेट ऑफ़ केरला ए.आई.आर. 1995 पेज 2339 मेघासिंह वि० स्टेट ऑफ़ हरियाणा, 2011(1) सी.सी.एस.सी. 385 (एस.सी.) बाबूभाई वि० गुजरात राज्य तथा एम.पी.डब्ल्यू.एन. 2006(2) नोट- 11 मांगीलाल वि० एम.पी. राज्य** पेश किए हैं। बचाव पक्ष अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क पर विचार किया गया। यद्यपि यह सत्य है कि वर्तमान प्रकरण में जाँच की कार्यवाही, प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने एवं विवेचना की सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही पुलिस अधिकारी तत्कालीन थाना प्रभारी शशीभूषण रघुवंशी के द्वारा की गई है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई है प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में इससे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इस संबंध में **स्टेट विरुद्ध जयपॉल, 2004 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 1762 तथा एस. जीवनाथन विरुद्ध स्टेट ए.आई.आर 2004 एस.सी. 4608** उल्लेखनीय हैं, जिनमें यह अभिधारित किया गया है कि पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध का अनुसंधान करने में सक्षम हैं। उक्त कृत्य उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया गया है जिस दौरान कि उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है एवं विवेचना की जाकर अंतिम प्रतिवेदन

प्रस्तुत किया गया है तो उसे हितबद्ध व्यक्ति होना नहीं माना जा सकता एवं उसके आधार पर उसके द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तदनुसार मात्र इस आधार पर कि प्रकरण में जाँच उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना और विवेचना की कार्यवाही थाना प्रभारी शशीभूषण रघुवंशी के द्वारा की गई है इससे प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्यों एवं परिस्थितियाँ वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से उनके आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

54. बचाव पक्ष के द्वारा मुख्य रूप से लिया गया अन्य आधार यह है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए बिना जाँच प्रारंभ कर दी गई है और इस दौरान सफीना फार्म पंचायतनामा, जप्ती की कार्यवाही एवं नक्शा मौका की कार्यवाही की गई है। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाहियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के पहले की गई है, इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध होने के पूर्व की गई उक्त सम्पूर्ण कार्यवाहियाँ मान्य किया जाने योग्य नहीं हैं। धारा 157 सी.आर.पी.सी. का पालन नहीं किया गया है, इस संबंध में विवेचना अधिकारी कोई स्पष्ट जबाब भी नहीं दे पाया है। बचाव पक्ष के द्वारा इस संबंध में **देवेन्द्र वि० हरियाणा राज्य 1998 किमिनल लॉ जनरल पे. 3787 तथा संस्कार शंकर मौर्य वि० स्टेट ऑफ़ एम.पी. 1981 जे.एल.जे. 646** का हवाला देते हुए जाँच और विवेचना की कार्यवाही को दूषित होना बताया है।

55. बचाव पक्ष के द्वारा लिये गये उपरोक्त आधार पर विचार किया गया। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है। प्रकरण मुखविर की सूचना की दस्तीक करने हेतु पहले पुलिस बल गया था और पुलिस बल के द्वारा मौके पर संदेहियों का मौजूद होना पाया गया था तथा घटना स्थल के पास स्थिति कुँए में महिला का शव होना पाया गया था। प्रकरण में कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी जिसके द्वारा घटना देखी गई हो मौजूद नहीं है। पीड़िता महिला का शव जो कि कुँए में पड़ा हुआ था उसे कुँए से निकाले जाने के उपरांत घटना स्थल पर मर्ग रिपोर्ट अंतर्गत धारा 174 दं.प्र.सं. का दर्ज कर मर्ग की जाँच की गई, मर्ग की जाँच उपरांत आरोपीगण के अपराध में संलग्नता सुनिश्चित होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कार्यवाही की गई है। निश्चित रूप से पुलिस अधिकारी को धारा 174 दं.प्र.सं. के अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में किसी की मृत्यु होने की दशा में मर्ग कायम कर उसकी जाँच करने का अधिकार है एवं इस दौरान सफीना फार्म, शव का नक्शा पंचायतनामा व शव परीक्षण कराए जाने एवं घटना स्थल का नक्शा मौका और जप्ती की कार्यवाही भी पुलिस अधिकारी के द्वारा की जा सकती है। मर्ग अंतर्गत धारा 174 दं.प्र.सं. कायम करने के उपरांत मर्ग की सूचना

एस0डी0एम को भेजी गई है, ऐसी दशा में धारा 157 दं.प्र.सं. का अनुपालन नहीं किया गया है ऐसा भी नहीं माना जा सकता। ऐसी दशा में यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा जाँच के दौरान पंचायतनामा बनाया जाना एवं जप्ती आदि की कार्यवाही की गई है तो मात्र इस आधार पर उनके द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित नहीं होती।

56. पुलिस वल के द्वारा घटना स्थल के पास से पकड़े गए आरोपी सत्यभान, करतार और राधेश्याम की गिरफ्तारी का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में उक्त व्यक्तियों को संदेही होने के आधार पर पूछताछ हेतु थाना मौ लाया गया है जो कि इस संबंध में रोजनामचा सान्हा क्रमांक 1063 के अनुसार 02:15 बजे उन्हें थाने लाया गया है। उक्त आरोपी संदेहियों की गिरफ्तारी के संबंध में विवेचना अधिकारी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उस समय तक उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ था, अतः उन्हें पूछताछ कर छोड़ दिया गया था जिसका कि उल्लेख डायरी में है। निश्चित रूप से घटना के उपरांत मार्ग कायम कर मृतिका का पोस्टमार्टम कराने हेतु भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत तथा मार्ग की जाँच के उपरांत घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.03.2012 को दर्ज की गई है। जाँच में उपरोक्त आरोपियों के अपराध में संलग्न होना पाए जाने के उपरांत दिनांक 03.03.2012 को उनकी गिरफ्तारी की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में मात्र इस आधार पर कि संदेही होने पर उक्त आरोपियों को पूछताछ के लिए थाने में लाया गया था और उसी दिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई इससे अभियोजन प्रकरण की विश्वसनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

57. अभियोजन साक्षियों के कथनों में विरोधाभाष एवं बिसंगति का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में यद्यपि अभियोजन साक्षियों के कथनों में कतिपय विरोधाभाष एवं बिसंगतियाँ आई हैं जो कि मुख्यतः घटना स्थल पर पहुँचने के संबंध में प्र.आर. शेषदेवरामभगत के कथन व मौके पर पहुँचने बताए गए अन्य साक्षियों के इस संबंध में कथन में विरोधाभाष है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि साक्षियों के कथनों में कतिपय विरोधाभाष है सम्पूर्ण साक्ष्य को दरकिनार कर अमान्य करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में **शिवप्पा बगैरा वि० स्टेट ऑफ कर्नाटक 2008 सी.आर.एल.जे. 2992, मेहरवान वि० स्टेट ऑफ एम.पी. ए.आई.आर 1997 एस.सी. 1528** में यह अभिधारित किया गया है कि साक्षियों के कथनों में कतिपय विरोधाभाष या बिसंगति के आधार पर उनके साक्ष्य कथन को दरकिनार करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। साक्षियों की सामाजिक पृष्ठभूमि, घटना घटित होने के उपरांत से साक्ष्य होने के समय अंतराल को देखते हुए इस प्रकार की बिसंगति और विरोधाभाष आना स्वभाविक है।

58. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि आरोपियों के शरीर में किसी प्रकार की चोट या खरौच आदि के निशान नहीं पाए गए हैं। यदि घटना स्थल पर बलात्कार की कोई घटना होती तो उनके शरीर पर चोटें अवश्य पाई जाती। इसके अतिरिक्त अभियोक्त्री के साथ बलात्कार होने के संबंध में चिकित्सक के द्वारा भी कोई अभिमत नहीं दिया गया है और उसके गुप्तांगों आदि पर कोई चोट होनी नहीं पाई गई है। इस संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि घटना स्थल पर पाए गए आरोपीगण राधेश्याम, करतार एवं सत्यभान तथा शेष आरोपी के शरीर में चिकित्सीय परीक्षण उपरांत कोई भी चोट होनी नहीं पाई गई है, जैसा कि इस संबंध में चिकित्सीय प्रतिवेदन से स्पष्ट है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त आरोपीगण के शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोट मौजूद होनी नहीं पाई गई है अभियोजन प्रकरण पर संदेह का आधार नहीं हो सकता। यदि किसी महिला के साथ कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर संभोग किया जा रहा हो तो उस दशा में यह संभव नहीं है कि महिला अपने बचाव में वहाँ पर मौजूद व्यक्तियों को चोटें पहुँचाए या उन्हें किसी प्रकार की खरौच या चोटें आए। अभियोक्त्री के साथ बलात्कार के संबंध में चिकित्सक के द्वारा यद्यपि कोई अभिमत नहीं दिया गया है तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य और परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जा सकना बताया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि अभियोक्त्री के निजी अंगों पर कोई चोट चिकित्सक के द्वारा होनी नहीं पाई गई है तथा बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित अभिमत नहीं दिया जा सकना बताया गया है, इससे प्रकरण की विश्वसनीयता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, इस संबंध में **प्रेमप्रकाश वि० स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 277, दस्तगीर साहब वि० स्टेट ऑफ कर्नाटक 2004(3)एस.सी.सी. 106 तथा स्टेट ऑफ यू.पी. वि० छोटेलाल 2011 ए.आई.आर. एस.सी. 697** उल्लेखनीय है।

59. घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी एवं सादी मिट्टी तथा वहाँ से बरामद हुई मोटरसाइकिल के स्वामित्व के संबंध में प्रमाण का एवं मोबाइल कॉल डिटेल के संबंध में प्रमाण एवं घटना स्थल के पास के रिहायसी लोगों के कथन भी नहीं लिये गये हैं का जहाँ तक प्रश्न है। यद्यपि उक्त कार्यवाही विवेचना अधिकारी के द्वारा नहीं की गई है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि विवेचना अधिकारी के द्वारा विवेचना में किसी प्रकार की कमी रखी गई है सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को संदिग्ध माने जाने का कोई आधार नहीं हो सकता। इस संबंध में **सी. मुनिअप्पम वि० स्टेट ऑफ तमिलनाडू ए.आई.आर 2010 एस.सी. 3718** उल्लेखनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिधारित किया गया है कि अनुसंधान की कमी दोषमुक्ति का आधार नहीं हो सकता। न्यायालय को अभियोजन साक्ष्य की

सतर्कता पूर्वक छानबीन करना चाहिए और उसके आधार पर सत्य का पता लगाना चाहिए। अनुसंधान में कमी के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। इसी प्रकार **पारस यादव वि० स्टेट ऑफ बिहार (1999)2 एस0सी0सी0 126** में यह अभिधारित किया गया है कि यदि अनुसंधान एजेंसी ने कुछ लोप किए या कमी की है तो यह जानबूझकर या लापरवाही के कारण हो सकती है, लेकिन न्यायालय को अभियोजन के साक्ष्य की सावधानी से छानबीन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या साक्ष्य विश्वास योग्य है या नहीं।

60. घटना के हेतुक का जहाँ तक प्रश्न है प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाणित हुआ है कि रात के 12-12:30 बजे आरोपीगण रोधश्याम, करतार एवं सत्यभान को घटना स्थल ग्राम जितरवई में मंशाराम के कुँआ का है पर देखा गया जो कि संदिग्ध अवस्था में थे। घटना स्थल के पास के कुँए में अभियोक्त्री का शव होना भी पाया गया है। प्रकरण में आई हुई साक्ष्य इस तथ्य को इंगित करती है कि घटना स्थल पर अभियोक्त्री के साथ बलात्कार की घटना की गई एवं उसके द्वारा प्रतिरोध करने पर तथा इस आशंका से कि घटना स्थल पर घटना की जानकारी अन्य लोगों को न हो जाए अभियोक्त्री को चोट पहुँचाकर या अन्यथा उसे कुँए में डाल दिया गया जो कि उसकी हत्या करने हेतु हेतुक होना भी स्पष्ट होता है।

61. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा यह आधार लिया गया है कि प्रकरण में परिस्थितियों को शंकाविहीन साक्ष्य की कड़ी जोड़कर सिद्ध नहीं किया गया है। जबकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में प्रत्येक कड़ी को जोड़ते हुए यह तथ्य प्रमाणित कराना होता है कि अपराध केवल आरोपी के द्वारा ही किया गया है। बचाव पक्ष अधिवक्ता के द्वारा इस संबंध में **2010(3) सी.सी.एस.सी. 1550(एस.सी.) बाबू वनाम केरल राज्य, 2004(1) सी.सी.एस.सी. 246 एस.सी. राजकुमार सिंह वि० राजस्थान राज्य, 2009(1) सी.सी.एम.सी. 201 एस.सी. हनुमानप्रसाद वि० राजस्थान राज्य, 2009(2) सी.सी.एस.सी. 1035 एस.सी. मुसाउद्धीन ऐहमद वनाम असम राज्य, 2009(2) सी.सी.एस.सी. 1081 एस.सी. दोना देवी वनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर 1994 एस.सी. 468 स्टेट ऑफ हरियाणा वनाम वेदप्रकाश तथा ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 470 कैलाश वना स्टेट ऑफ यूपी., ए.आई.आर 1982 एस0सी0 1157 गंभीर वनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1388 जाहरलालदास वनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा** पेश किए गए हैं।

62. बचाव पक्ष के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि अभियोजन के द्वारा

वर्तमान प्रकरण में साक्ष्य की कड़ी मजबूती से जोड़कर सिद्ध नहीं किया जा सका है, जब प्रकरण के निराकरण करते समय दो संभावनाएं दर्शित होती हैं जो कि एक अभियोजन पक्ष की ओर तथा दूसरी बचाव पक्ष की ओर है तो संदेह का लाभ बचाव पक्ष को दिया जाना चाहिए। इस संबंध में बचाव पक्ष के ओर से **किमिनल लॉ रिपोर्टर 1984 एस.सी. पेज 296 सरद ब्रदीचन्द्र सरद वनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1988 जे.एल.जे. 60 अमरनाथ पाण्डेय वनाम स्टेट ऑफ म.प्र. तथा 1988 जे.एल.जे. पेज 321 किशन सेवक वि० स्टेट ऑफ एम.पी., एम.पी.डब्ल्यू.एन. 1986(2) नोट न. 59 सुरेशचन्द्र वनाम स्टेट ऑफ एम.पी.** पेश किए गए हैं। इसी प्रकार घटना स्थल जो वस्तुएं कपड़े, मोटरसाइकिल, मृतिका की लाश बरामद की गई है। उस परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी श्रृंखला स्थापित नहीं होती। इस आधार पर भी आरोपीगण दोषमुक्त के अधिकारी हैं। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा **1988 जे.एल.जे. 505 नारायण वनाम स्टेट ऑफ एम.पी., एम.पी.डब्ल्यू.एन. 1988(1) एस. सी. कंसाविहार वनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा तथा जे.एल.जे. 2000(1) पेज न. 145 जुगुला उर्फ रामदास वनाम स्टेट ऑफ म.प्र.** पेश किये गये हैं।

63. बचाव पक्ष की ओर से अपने तर्क के दौरान लिये गये उपरोक्त आधार एवं रिफर किये गये न्यायदृष्टान्तों का जहां तक प्रश्न है, उपरोक्त तर्कों एवं रिफर किये गये न्यायदृष्टान्तों की परिस्थितिजन्य साक्ष्य की दशा में परिस्थितियां जो कि आरोपी को अपराध को संलग्न होना इंगित करती हैं वह निश्चायतमक होनी चाहिये तथा यदि मामले में पेश किये गये साक्ष्य से दो मत संभव हों जिनमें से एक अभियुक्त के दोष को और दूसरा उसकी निर्दोषता को इंगित करता है तो जो मत अभियुक्त के अनुकूल होता है उसे ही स्वीकार किया जाना चाहिये, इससे न्यायालय पूर्णतः सहमत है। इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा रिफर किये गये उपरोक्त न्यायदृष्टान्तों से भी उक्त संबंध में विधिक स्थिति स्पष्ट होती है, उक्त न्यायदृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त का भी न्यायालय पूर्ण सम्मान करता है। किन्तु इस संबंध में प्रत्येक प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न होती हैं। वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में जिसका कि पूर्व में विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है के आधार पर वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण सत्यभान, करतारसिंह, राधेश्याम की घटनास्थल पर मौजूदगी जो कि घनघोर रात्रि के समय कुएं के पास जो कि एक सूनसान स्थल है उनकी मौजूदगी, कुएं में मृतिका का शरीर ओंधी अवस्था में अर्द्धनग्न हालत में पड़ा होना, घटनास्थल के कमरे की स्थिति एवं इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य जो कि उपरोक्त आरोपीगण के द्वारा लिया गया मिथ्या बचाव का स्पष्टीकरण, उनके विरुद्ध अपराध में संलग्न होने और उनके

द्वारा अपराध कारित किये जाने पर स्पष्ट साक्ष्य है। उक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त अपराध उक्त आरोपीगण के द्वारा ही किया गया है इस परिकल्पना के अतिरिक्त अन्य कोई परिकल्पना इस संबंध में नहीं की जा सकती।

64. अभियोजन के द्वारा प्रमाणित परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में घटना स्थल पर विचारित किए जा रहे तीनों आरोपियों राधेश्याम, सत्यभान और करतार को घटना स्थल पर देखा गया है। सामूहिक बलात्कार के संबंध में सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य किया जाना महत्वपूर्ण घटक होता है और इस संबंध में **ओमप्रकाश विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2682** में यह अभिधारित किया गया है कि सामान्य आशय सीधे साक्ष्य के आधार पर अथवा परिस्थितियों के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। इस संबंध में सीधे साक्ष्य कभी कभार उपलब्ध होता है। इस परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियों के आधार पर ही इस बावत् कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में जो परिस्थितियाँ प्रमाणित हुई हैं उनके परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घटना स्थल पर उपरोक्त तीनों आरोपी राधेश्याम, सत्यभान एवं करतार मौजूद थे जिनके द्वारा महिला अभियोक्त्री के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए बलात्कार की घटना की गई जो कि सामूहिक बलात्कार की श्रेणी में आता है। अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या करने के आशय से उसके साथ मारपीट की गई और उसे कुँए में डाल दिया गया यह भी प्रमाणित परिस्थितियों के आधार पर प्रमाणित है जिसमें कि उक्त विचारित किए जा रहे आरोपीगण राधेश्याम, करतार एवं सत्यभान के संलग्न होने होना पाया जाता है।

65. प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत समग्र साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित परिस्थितियों के आधार पर आरोपी राधेश्याम, सत्यभान एवं करतार के अतिरिक्त शेष आरोपीगण मेवाराम, बलवीर, बीरवल, नरेश और अतेन्द्रसिंह के संबंध में मात्र उपरोक्त सहआरोपीगण के द्वारा किये गए कथन के आधार पर उनके घटना में संलग्न होना अभियोजन के द्वारा बताया जा रहा है। उक्त आरोपीगण मेवाराम, बलवीर, बीरवल, नरेश और अतेन्द्र सिंह की किसी प्रकार की कोई पहिचान नहीं हुई है और न ही उनके घटना में संलग्न होने बावत् सहआरोपीगण के कथन के अतिरिक्त अन्य कोई भी सम्पुष्टि कारक साक्ष्य मौजूद है। ऐसी दशा में उपरोक्त आरोपीगण मेवाराम, बलवीर, बीरवल, नरेश और अतेन्द्र सिंह के संबंध में अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है।

66. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य पर विचार किए जाने के उपरान्त यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि दिनांक 29.02.

2012 एवं 01.03.2012 की रात्रि ग्राम जितरवाई के हार मंशाराम का कुँआ थाना मौँ में आरोपीगण सत्यभान, राधेश्याम एवं करतार के द्वारा अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना की गई तथा यह भी प्रमाणित होना पाया जाता है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर उपरोक्त आरोपीगण के द्वारा महिला अभियोक्त्री की साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की। अन्य विचारित किये जा रहे आरोपी मेवाराम, बीरलव, बलवीर, नरेश एवं अतेन्द्रसिंह के अपराध में संलग्न होने अथवा उनके द्वारा कोई भी अपराध किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

67. अतः आरोपी सत्यभान, राधेश्याम एवं करतार को धारा 376(2-छ) भा0दं0वि0 एवं धारा 302 भा0दं0वि0 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है, जबकि बैकल्पिक रूप से लगाए गए आरोप धारा 376(2-छ)/120बी, 302/120बी भा0दं0वि0 उपरोक्त आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है। वैकल्पिक आरोप से उन्हें दोषमुक्त किया जाता है। शेष आरोपीगण मेवाराम, बीरलव, बलवीर, नरेश एवं अतेन्द्रसिंह को आरोपित अपराध धारा 376(2-छ) बिकल्प में धारा 376(2-छ)/120बी, 302 बैकल्पिक धारा 302/120बी भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

68. दोषसिद्ध ठहराए गए आरोपीगण के संबंध में दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय अस्थाई रूप से स्थगित किया जाता है।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(डी.सी.थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

पुनश्चयः—

69. दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण सत्यभान, राधेश्याम एवं करतार के विद्वान अभिभाषक एवं अपर लोक अभियोजक को सुना गया। अपर लोक अभियोजक के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि वर्तमान प्रकरण जो कि महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की जाने से संबंधित है, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में विधि के द्वारा विहित अधिकतम दण्ड अधिरोपित किया जाने का निवेदन किया गया है।

70. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य एवं प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में वर्तमान प्रकरण विरल से

विरलतम प्रकरण की स्थिति में नहीं आता है जो कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **बचनसिंह बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 898, माचीसिंह बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 947** में विरल से विरलतम प्रकरण की स्थिति दर्शाई गई है। आरोपीगण के विरुद्ध कोर्ट पूर्व की दोषसिद्ध होनी प्रमाणित नहीं है और न ही उनका कोई आपराधिक रिकार्ड रहा है। फलतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण सत्यभान, राधेश्याम एवं करतार प्रत्येक को धारा **302 भा0दं0वि0** के अपराध हेतु **आजीवन कारावास तथा 5000/- (पांच हजार रुपए) रुपए** के अर्थदण्ड से तथा धारा **376(2-छ) भा0दं0वि0** के अपराध हेतु **दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- (पांच हजार रुपए) रुपए अर्थदण्ड** से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक आरोपी को **एक-एक वर्ष** के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताई जावे।

71. आरोपीगण के द्वारा प्रकरण की जाँच, अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि मूल सजा में मुजरा की जाए, इस संबंध में धारा 428 दं. प्र.सं. का प्रमाणपत्र प्रथक से बनाया जावे।

72. प्रकरण में जप्तशुदा मृत्तिका के कपड़े, चप्पल तथा जप्त की गई चड्ढियाँ, घटना स्थल से जप्त किए गए कपड़े, बीड़ी के बिण्डल, शराब की पॉव, माचिस की जली हुई तीलियाँ, स्लाइड, जप्त की गई चड्ढियाँ व नकली पचास रुपए का एक नोट मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। जप्तशुदा 110/- रुपए अपील अवधि पश्चात् राजकोष में जमा किए जाए। जप्तशुदा मोबाइल सेमसंग कम्पनी का तथा जप्तशुदा मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर एम.पी. 07 के5-3870 अपील अवधि पश्चात् उनके स्वामित्व के संबंध में प्रमाणपत्र पेश होने पर उनके स्वामियों को बापस की जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड